उत्तर प्रदेश

राज्य सड़क परिवहन निगम

नागरिक चार्टर

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

आधारभूत तथ्य

क्र० सं०	मद	अप्रैल–मार्च 2007-08	अप्रैल–मार्च 2008-09
1-	सम्पूर्ण प्रदेश में पक्की सड़कों की लम्बाई (कि०मी०) *	147255	147255
	प्रदेश में राष्ट्रीयकृत मार्गों की शुद्ध लम्बाई (कि०मी०)	17729	17729
	कुल पक्की सड़कों में राष्ट्रीयकृत मार्गों का %	12.04	12.04
2-	निगम में बसों की माध्य संख्या		
	– निगम	6660	6831
	– अनुबंधित	810	879
	– योग	7470	7710
3-	मार्गों की संख्या	2246	2490
	कुल मार्ग दूरी (लाख कि०मी० में)	4.87	5.71
	औसत मार्ग दूरी (कि०मी०)	217	229
4-	क्षेत्र	23	21
	डिपो (कार सेक्शन को मिलाकर)	108	108
	केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर	2	2
	प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	1	1
	टायर रिट्रीडिंग संयंत्र	6	6
5-	बस स्टेशन – निगम के भवनों में	241	243
	– किराये के भवनों में	80	78
6-	यात्रियों की संख्या (करोड़ में)	44.33	46.65
	प्रति यात्री तय की गयी औसत दूरी (कि०मी० में)	65	66
7-	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी (दैनिक वेतन भोगी सहित)	35314	34246

दैनिक संचालन विवरण

क्र० सं०	मद	अप्रैल–मार्च 2007-08	अप्रैल–मार्च 2008-09
1-	संचालित बस कि०मी० (लाख में)	24.63	25.79
2-	ले जाये गये यात्री (लाख में)	12.11	12.78
3-	कुल आय (रु० लाख में)	339.00	387.36
4-	कुल व्यय (रु० लाख में)	327.88	384.43
5-	लाभ/हानि (रु० लाख में)	11.12	2.92

* सार्वजनिक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित 31-3-08 की स्थिति अनुसार

राष्ट्रीयकृत परिवहन

प्रदेश के बहुमुखी विकास में परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीयकृत परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम 15 मई 1947 को लखनऊ–बाराबंकी मार्ग पर उ0 प्र0 गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा बस संचालन प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीयकृत बस संचालन प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जनता को कुशल एवं सस्ती परिवहन सेवा सुलभ कराना था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा.3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को 1 जून, 1972 से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में गठित कर दिया गया। उत्तरॉचल राज्य के गठन के, फलस्वरूप दिनांक 31 10.03 से उत्तरॉचल राज्य परिवहन निगम के अस्तित्व में आ जाने से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का पुर्नगठन हो गया।

निगम की स्थापना के उद्देश्य

निगम की स्थापना निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी :–

1- सड़क परिवहन के विकास द्वारा जनता, व्यापार और उद्योग को पहुँचाये जाने वाले फायदों में वृद्धि।
2- सड़क परिवहन की किसी अन्य प्रकार के परिवहन से समन्वय की वांछनीयता ।
3. किसी क्षेत्र में सड़क परिवहन सुविधाओं को विस्तृत करने और उसमें सुधार करने तथा वहाँ पर दक्ष एवं मितव्ययी सड़क परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करने की वांछनीयता।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा.18 में निगम के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार निगम का कर्तव्य दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी और उचित तौर से समन्वित सड़क परिवहन सेवा प्रणाली का प्रबन्ध एवं उसमें अभिवृद्धि करना है।

निगम का बस संचालन

राष्ट्रीयकरण की स्थिति

परिवहन निगम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बस सेवाओं का संचालन किया जाता है, किन्तु यात्रियों की मांग के दृष्टिगत कुछ ऐसे मार्गों/मार्गांशों पर भी अनुज्ञा–पत्र प्राप्त कर सीमित संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीयकृत नहीं हैं।

संचालित सेवाओं के प्रकार

निगम का सदैव प्रयास रहा है कि उसकी सेवाओं का लाभ अधिकाधिक यात्रियों को मिले। इस हेतु प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लम्बी दूरी एवं शटल सेवाओं दोनों का संचालन आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

- शटल सेवायें मुख्यतः तहसील/ब्लॉक मुख्यालय एवं अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण अंचलों को जनपद मुख्यालय से जोड़ने के लिये संचालित की जाती हैं। निगम प्रयत्नशील है कि शटल सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाये जिससे कि स्थानीय जनता की परिवहन आवश्यकतायें पूरी होती रहें।

- निगम द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों को जोड़ने के लिये लम्बी दूरी की सेवायें भी संचालित की जा रही है।
- जनता की सुविधा के लिये देश के विभिन्न राज्यों के साथ पारस्परिक समझौतों के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। ये सेवायें काफी उपयोगी तथा लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं। प्रदेश के प्रमुख स्थानों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्यों के विभिन्न गन्तव्यों हेतु अन्तर्राज्यीय सेवायें संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली के लिये भी प्रदेश के विभिन्न अंचलों से सीधी सेवायें संचालित की जा रही हैं।
- निगम द्वारा बसों की डिजाइन तथा सीटों में भी परिवर्तन कर उन्हें अधिक आरामदेह बनाया गया तथा अपनी संचालन व्यवस्था यात्री उन्मुखी बनायी गयी। इस हेतु कुछ मार्गों पर कम किराये की बसों को ''जनता सेवा'' के रूप में संचालित कराया गया। दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु प्रचलित **''मासिक पास योजना''** को विस्तारित किया गया। पर्यटकों हेतु विशेष पास योजना प्रभावी की गयी।
- कुछ मार्गो पर यात्री उपलब्धता तथा त्वरित यात्रा के दृष्टिगत मिनी बसों का भी संचालन कराया गया। कतिपय अन्तर्जनपदीय मार्गों पर ''नॉन–स्टॉप'' (पवन एवं पवन गोल्ड) बस सेवायें प्रारम्भ की गयीं। लम्बी दूरी की रात्रिकालीन सेवाओं में यात्री सुविधा हेतु 28 सीट व 15 बर्थ की शयनयान सेवाओं का संचालन भी प्रारम्भ कराया गया। प्रदेश में यात्रियों की वांछनानुरूप कुछ चिहिन्त मार्गो पर वातानुकूलित सेवाओं का संचालन भी प्रारम्भ कराया गया। इन सभी प्रकार की बसों का संचालन यात्रियों में काफी लोकप्रिय हुआ। माह अक्टूबर 2004 में लखनऊ महानगर परिवहन बस सेवा के माध्यम से नगर बसों का कुछ चिन्हित मार्गो पर संचालन प्रारम्भ किया गया। जनता में लोकप्रियता एवं वांछना के आधार पर इसमें शनैः–शनैः विस्तार किया जा रहा है।

निगम बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा व्यवस्था

अ– सम्माननीय नागरिक

निम्नलिखित सम्माननीय नागरिकों को निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है, जिसकी प्रतिपूर्ति शासन के विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है :–

	सम्माननीय नागरिक	प्रतिपूर्तिकर्ता विभाग
1.	उ0प्र0 से निर्वाचित लोकसभा या राज्य सभा के मा0 सदस्य व एक सहवर्ती	परिवहन आयुक्त कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
2.	उ0प्र0 विधान सभा के वर्तमान एवं भूतपूर्व मा0सदस्य व एक सहवर्ती	विधान सभा सचिवालय उ0प्र0 लखनऊ।
3.	उ0प्र0 विधान परिषद् के वर्तमान एवं भूतपूर्व मा0सदस्य व एक सहवर्ती	विधान परिषद सचिवालय उ0प्र0 लखनऊ।
4.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व एक सहवर्ती	निदेशक/सचिव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् लखनऊ।
5.	मान्यता प्राप्त पत्रकार	सूचना निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6.	राष्ट्र/राज्य पुरस्कृत प्रदेश के बेसिक /माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षक	शिक्षा निदेशक (बेसिक शिक्षा) लखनऊ

उपरोक्त श्रेणियों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं लोकसभा/राज्य सभा/उ0 प्र0 विधान सभा/विधान परिषद के वर्तमान एवं भूतपूर्व माननीय सदस्यों के सहवर्ती द्वारा अतिरिक्त कर व अन्य करों का भुगतान स्वयं किया जाता है।

ब– वीरता पुरस्कार से सम्मानित सैनिक एवं पुलिस बल के जवान

वीरता पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के नागरिकों को परिवहन निगम की साधारण बसों में प्रदेश के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है। अतिरिक्त कर एवं अन्य करों का भुगतान वीरता पुरस्कार से सम्मानित नागरिकों द्वारा स्वयं किया जाता है। वीरता पुरस्कार धारकों को निगम मुख्यालय द्वारा निर्गत पास के आधार पर यात्रा सुविधा अनुमन्य की जाती है।

निम्नवत् वीरता पुरस्कारों में से किसी के भी धारक, यदि उ0प्र0 के नागरिक हैं, इसके अन्तर्गत यात्रा–सुविधा हेतु पात्र होंगे :–

सैन्य बल

परम वीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेन्शन इन डिस्पैंचेज, चीफ आफ दि आर्मी स्टाफ कमेन्डेशन कार्ड।

पुलिस बल

राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पुलिस पदक।

स– विकलांग जन

शासनादेश के अनुसार 40 प्रतिशत या अधिक किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र होने पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है।

निम्नांकित श्रेणी के विकलांगों के एक सहवर्ती को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी :–

क–जो पूर्णरूप से अंधे हो या अल्पदृष्टि (विकलांग जन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)

ख–जो पूर्णरूप से मूक हो, बधिर हो या दोनों हों (विकलांग जन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)

ग–जिनके एक हाथ व एक पैर या जिनके दोनों हाथ या दोनों पैर कटे होने के कारण निष्प्रयोज्य हों।

घ – जिनका एक हाथ एवं एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग (पैरालाइज्ड हों)

च–जो मानसिक रूप से मंद/रूग्ण हो (विकलांग जन अधिनियम 1995 की परिभाषा के अनुसार)

विकलांग व्यक्ति तथा उसके अनुमन्य सहवर्ती को यात्रा हेतु निर्धारित अतिरिक्त कर (यात्री कर) का भुगतान करना होगा। अनुमन्य विकलांग को निःशुल्क यात्रा सुविधा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र (मूल) के आधार पर प्रदान की जायेगी। इस हेतु उसे कोई पास अथवा किसी अन्य अधिकारी से कोई प्रमाण पत्र का प्राविधान नहीं है, न ही किसी प्रतिहस्ताक्षर /मुहर की आवश्यकता है।

निगम बसों में रियायती यात्रा सुविधा व्यवस्था

(अ) बच्चों हेतु

–5 वर्ष की आयु तक	निःशुल्क
–5 वर्ष से अधिक परन्तु 12 वर्ष की आयु तक	निगम के किराये में 50 प्रतिशत की छूट।

(ब) मासिक पास योजना

दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु निगम में मासिक पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 25 एकल फेरों के किराये पर 60 फेरों हेतु ''मासिक पास'' निर्गत किये जाते हैं।

(स) आठ दिवसीय विशेष पर्यटन पास

पर्यटकों की सुविधा के लिये निगम में आठ दिवसीय विशेष पर्यटन पास योजना लागू है। इस योजना के अन्तर्गत रू0 545/– के भुगतान पर आठ दिवस के लिये पास निर्गत किया जाता है। पास धारक इस समयावधि (आठ दिवस) में निगम बसों (वातानुकूलित व डीलक्स श्रेणी की बसों के अतिरिक्त)में कहीं भी आ–जा सकते हैं, कि0मी0 की कोई सीमा नहीं है।

परिवहन निगम की बसों में सुरक्षित यात्रा

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकासगत आवश्यकताओं के दृष्टिगत देश में सड़क मार्गों के निर्माण में काफी वृद्धि हुई है। प्रत्येक मुख्य मार्ग को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने के प्रयास भी प्रगति पर हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप सड़कों पर चालित विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण मार्गों पर मानवीय सुरक्षा की समस्या खड़ी हो गयी है। सुरक्षित यात्रा का सीधा सम्बन्ध चालक तथा वाहन की दशा से होता है। दुर्घटनाओं को कम करने तथा उनकी रोकथाम हेतु आवश्यक है कि वाहन तकनीकी दृष्टि से पूर्णतः स्वस्थ हों व नियंत्रित गति से चलाये जा रहे हों तथा चालक भी मानसिक रूप से स्वस्थ हों।

परिवहन निगम द्वारा यात्रा को निर्विघ्न सम्पन्न कराये जाने तथा यात्रियों को उनके गन्तव्य पर सुरक्षित पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस हेतु यह प्रयास किया जाता है कि चालक मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें तथा अधिक कार्य बोझ के कारण दुर्घटनायें न हों। इस हेतु सुनिश्चित किया जाता है कि चालकों को साप्ताहिक विश्राम नियमित रूप से दिया जाये। चालकों को बस चलाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित करने हेतु निगम के कानपुर स्थित प्रशिक्षण संस्थान में व्यवस्था की गयी है। चालकों की बस चालन क्षमता को उच्च स्तर का

बनाये रखने तथा उनकी बस चालन आदतों में सुधार लाने हेतु निगम के मुख्य डिपोज में चालक प्रशिक्षकों की तैनाती भी की गयी है। कार्यशाला में पूर्ण जांच के उपरान्त पूर्णतः स्वस्थ वाहन मार्गों पर संचालन हेतु भेजे जाने की व्यवस्था भी आश्वस्त करायी जाती है। वाहनों का निर्धारित रख–रखाव व अनुरक्षण भी समय से सुनिश्चित कराया जाता है तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि निर्धारित अनुरक्षण के पश्चात् वाहनों में कोई तकनीकी खराबी न रह जाये। प्रत्येक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है और यदि दुर्घटना हेतु कोई कार्मिक उत्तरदायी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। चालकों का समय–समय पर नेत्र व शारीरिक परीक्षण भी कराया जाता है। निगम मुख्यालय पर तैनात चिकित्सकों को क्षेत्रों में भेजा जाता है, ताकि क्षेत्रीय स्तर पर उनके द्वारा चालकों का नेत्र एवं शारीरिक परीक्षण किया जा सके।

दुर्घटनाओं की रोकथाम

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:–

अ– चालकों की अच्छी गुणवत्ता

निगम के चालकों की गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु उनकी नियुक्ति हेतु भी कठोर मानक निर्धारित किये गये हैं। निगम में चालक ट्रेड टेस्ट में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी का कक्षा आठ उर्त्तीण होना व उसके पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पाँच वर्ष पुराना लाइसेंस होना अनिवार्य है। इन अभ्यर्थियों में से दो स्तरों पर कठोर ट्रेड टेस्ट द्वारा, चालकों का चयन किया जाता है। प्रथम टेस्ट क्षेत्रीय समिति द्वारा लिया जाता है। इस टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का दूसरा टेस्ट प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में होता है। इसमें भी सफल होने के उपरान्त ही चालक पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

ब– चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण

– भर्ती के समय
– नियमित रुप से चालीस वर्ष के बाद।

स– अक्षम चालकों से बस चालन का कार्य नहीं लिया जाता है

द– चालकों का समय–समय पर प्रशिक्षण

य– चालकों की नशे की आदतों में अंकुश लगाना

निरीक्षण अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने निरीक्षण के दौरान यह देखें कि कोई चालक नशे की हालत में तो नहीं है। यदि कोई चालक नशे की दशा में वाहन चलाते पाया जाता है तो वाहन चलाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तथा ऐसे चालक के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जाती है।

र– दुर्घटना शून्य पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहन

दुर्घटना न करने वाले चालकों को यह पुरस्कार निम्नानुसार दिया जाता है:–

क–	2 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 1000/-
ख–	3 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 1500/-
ग–	4 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 2000/-
घ–	5 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 2500/-
ड.–	6 वर्ष से 9 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 3000/-
च–	10 वर्ष तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 4000/-
छ–	11 वर्ष या उससे अधिक वर्षो तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 5000/-
ज–	अधिवर्षता आयु प्राप्त होने तक दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन के लिए प्रत्येक वर्ष	रु0 25000/-

<u>शून्य दुर्धटना हेतु डिपो पुरस्कार निम्नवत देय है:–</u>

क्षेत्र में जिस डिपों में पूरे वर्ष कोई दुर्धटना नहीं होगी उस डिपो को एक ''चल वैजयन्ती'' तथा 50 बसों से अधिक वाले डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को रू0 10000/– एवं प्रभारी अग्रजन को रू0 5000/– पुरस्कार स्वरूप प्रदान होंगें। 50 बसों से कम वाले डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक व प्रभारी अग्रजन को क्रमशः रू0 5000/– व रू0 2000/– पुरस्कार स्वरूप प्रदान होंगे।

दुर्घटना राहत

1. सूचना मिलते ही अधिकारियों द्वारा घटना स्थल पर जाकर राहत कार्य करना।
2. अ–घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना।
   ब–घायलों को तत्काल आर्थिक सहायता रु0 250/- से रु0 500/- तक
3. मृतकों के आश्रितों को तत्काल अन्तरिम आर्थिक सहायता रु0 1000/-
4. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 140 के अन्तर्गत आर्थिक प्रतिकर
   अ–मृत्यु पर आश्रित को रु0 50,000/-
   ब–विनिर्दिष्ट पूर्ण अपंगता पर रु0 25,000/-
5. उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 धारा 8(2) के अन्तर्गत जिलाधिकारी की अनुशंसा पर परिवहन आयुक्त द्वारा सहायता।
   अ–मृत यात्री के आश्रित को रु0 20,000/-
   ब–मृत गैर यात्री के आश्रित को रु0 5,000/-
   स–विकलांग होने पर विकलांगता के प्रतिशत के अनुरूप देय उपरोक्त राहत का प्रतिशत।

नगरीय परिवहन व्यवस्था

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की नगरीय बस सेवा वर्ष 1992.93 तक संचालित की जा रही थी। कालान्तर में लिये गये निर्णय के अनुसार नगरीय परिवहन निजी क्षेत्र के माध्यम से निजी संचालकों द्वारा किये जाने हेतु सौंप दिया गया। निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही नगरीय परिवहन व्यवस्था से शनैः–शनैः यह प्रकाश में आया कि गुणवत्ता एवं व्यवस्थित ढंग से निजी क्षेत्र के माध्यम से समन्वित नगरीय परिवहन व्यवस्था सम्भव न हो सकी। प्रारम्भ में जहाँ नगरों के विभिन्न मार्गो पर निजी क्षेत्रों द्वारा बसें चलायी गयी वहीं शनैः–शनैः बसों की संख्या अत्यन्त कम हो गयी एवं अत्यन्त घनत्व के कतिपय मार्गो पर ही सीमित संचालन सम्भव रह गया। बसों में ओवरलोडिंग, अनधिकृत ठहराव, अत्यधिक समय लेना इत्यादि कठिनाईयाँ जन सामान्य के प्रकाश में आने लगीं।

उपरोक्त कठिनाईयों के दृष्टिगत एक सुव्यवस्थित प्रदूषणमुक्त नगरीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में शासन एवं परिवहन निगम ने परीक्षणोपरान्त उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नीतिगत रूप से प्रदेश के महानगरों में नगरीय परिवहन व्यवस्था पुनः विकसित किये जाने का निर्णय लिया। इसी क्रम में सर्वप्रथम लखनऊ महानगर में नगरीय बस सेवा 04 अक्टूबर 2005 से प्रारम्भ की गयी।

परिवहन निगम की उच्च स्तरीय सुविधापूर्ण महानगरीय परिवहन बस सेवा के संचालित होने से यह अपेक्षा की जाती है कि जन सामान्य अपने निजी यात्रा साधनों को छोड़कर इसका लाभ उठायेगें फलस्वरूप नगर में संकुचन एवं प्रदूषण स्वतः कम होगा। नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों के सहयोग से मार्गो के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुव्यवस्थित यात्री शेल्टर भी विकसित किये गये है। इन सेवाओं की निम्न विशिष्टियाँ हैंः–

1- सभी बसें यूरो–II मानकों के अनुसार।
2- निर्धारित स्टाप पर ही ठहराव।
3- समयबद्धता का विशेष ध्यान।
4- प्रत्येक मार्ग पर आवश्यकतानुसार प्रचुर संख्या में बसों का संचालन।
5- कोई ओवरलोडिंग नहीं।
6- किसी भी मार्ग पर 15 मिनट से अधिक प्रतीक्षा समय नहीं।
7- विद्यार्थियों/कर्मचारियों /वयस्कों/बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों आदि को दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक विशेष रियायती पास सुविधा।
8- द्रुतगामी सेवा एवं समय की बचत।
9- चार्टर बसों की भी मांग के अनुसार व्यवस्था।
10- पर्यटकों हेतु मनोरंजनयुक्त खुली छत की दुमंजिली बस की व्यवस्था।
11- सभी बसों में एफ0एम0 रेडियो तथा घड़ी एवं परिवाद पेटिका की भी व्यवस्था है।

निगम ने इन सेवाओं में सुन्दरता, सुविधा, समयबद्धता एवं सुरक्षा के मुख्य चार लक्ष्य रखे है।

प्रथम चरण में 5 मार्गो पर 105 बसों से संचालन प्रारम्भ किया गया। जनता की मांग के दृष्टिगत मार्गो की संख्या में वृद्धि की गयी। दिसम्बर 2005 के अन्त में मार्गो की संख्या बढ़ाकर 07 कर दी गयी।

नगरीय बसों को सामाजिक एवं अन्य विभिन्न अवसरों पर नगरीय बसों को ठेके पर देने हेतु निम्नलिखित दरें प्रभावी की गयी हैंः–

क्रमांक	समयावधि	दरें	
		मिनी बसें	बड़ी बसें
1.	3 घंटे हेतु	रु0 1200.00	रु0 1500.00
2.	6 घंटे हेतु	रु0 2400.00	रु0 3000.00
3.	9 घंटे हेतु	रु0 3600.00	रु0 4500.00
4.	12 घंटे हेतु	रु0 4800.00	रु0 6000.00

रियायती पास की दरें

नगरीय सेवाओं में रियायती पास दरें वर्तमान में निम्नवत् प्रभावी हैंः–

	सभी मार्ग	एकल मार्ग	प्रति अतिरिक्त मार्ग
साप्ताहिक पास	–रु0 100.00		
मासिक पास–			
(अ) छात्रों के लिए	–रु0 250.00	रु0 125.00	रु0 25.00
(ब) वरिष्ठ नागरिकों के लिए	–रु0 250.00	रु0 125.00	रु0 25.00
(स) वयस्कों हेतु	–रु0 350.00	रु0 200.00	रु0 50.00

पास विक्रय केन्द्र

जनता की सुविधा हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर पास विक्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैः–

क्रमांक	पास विक्रय केन्द्र	क्रमांक	पास विक्रय केन्द्र
1.	आलमबाग बस स्टेशन	5.	क्षेत्रीय कार्यालय सप्रू मार्ग
2.	चारबाग बस स्टेशन	6.	मुंशीपुलिया (इन्दिरानगर) किओस्क
3.	कैसरबाग बस स्टेशन	7.	परिवर्तन चौक (हजरतगंज) किओस्क
4.	गोमतीनगर बस स्टेशन	8.	वेव सिनेमा (गोमतीनगर) किओस्क

यात्रियों की सुख–सुविधा

बस स्टेशनों की व्यवस्था

यात्रियों की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के महत्वपूर्ण स्थानों पर 314 बस स्टेशनों/बुकिंग कार्यालयों की व्यवस्था की गयी है। इनमें से 235 बस स्टेशन निगम द्वारा निर्मित भवनों में तथा शेष 79 किराये के भवनों में है।

बस स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

निगम के स्वनिर्मित बस स्टेशनों पर सामान्यतया यात्रियों के बैठने की व्यवस्था जलपानगृह, शौचालय व पेयजल की सुविधायें उपलब्ध हैं। प्रमुख बस स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिये समय–सारिणी व किराया सूची प्रदर्शित है। प्रमुख बस स्टेशनों पर पूँछताँछ कक्ष स्थापित किये गये हैं जहां पर यात्री बस संचालन के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा बसों के आवागमन व अन्य आवश्यक सूचनाओं की घोषणा के लिये उद्‌घोषणा संयंत्रों की व्यवस्था की गयी है। प्रकाश की उचित व्यवस्था की गयी है जिस हेतु सोडियम लैम्प लगाये गये हैं। विभिन्न बस स्टेशनों पर पंखों की व्यवस्था की गयी है। कुछ बस स्टेशनों पर जेनरेटर सेट स्थापित हैं जिससे कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहे। परिसर में स्वच्छता बनाये रखने पर विशेष बल दिया जाता है। बस स्टेशनों में पी0सी0ओ0 बूथ लगवाये गये हैं। निगम के बड़े बस स्टेशनों पर प्लेटफार्म की व्यवस्था की गयी है जिसके अन्तर्गत विभिन्न गन्तव्यों के लिये बसें निर्धारित प्लेटफार्म से जाती हैं। बड़े बस स्टेशनों पर प्रतीक्षारत यात्रियों के मनोरंजन के लिये टेलीविजन संयंत्र भी स्थापित किये गये है। यात्रियों को अच्छी प्रसाधन सुविधायें सुलभ कराने के ध्येय से कई बस स्टेशनों पर सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की गयी है तथा शेष में समान सुविधा देने हेतु निगम प्रयासरत है। प्रदेश के नगर निगम स्तर के नगरों में स्थित 20 बस स्टेशनों पर विकलांग यात्रियों के सुविधार्थ व्हील चेयर की व्यवस्था की गयी है।

यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से बस स्टेशनों का मानकीकरण

निगम अपने सीमित संसाधनों के बाद भी यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील है। यात्रियों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं की दृष्टि से बस स्टेशनों को सुपर ''अ'', "अ", "ब", "स" एवं "द" श्रेणी में बांटा गया है। श्रेणीवार बस स्टेशनों पर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का नव निर्धारण निम्नवत् किया गया है , जिसके अनुसार शनैः शनैः निगम अग्रसर होगा।

श्रेणी–द

1	पेयजल की व्यवस्था– नगरपालिका आपूर्ति एवं इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प
2	प्रकाश व्यवस्था
3	पंखों की व्यवस्था
4	बैठने के लिये बेंचें एवं कुर्सियाँ
5	किराया सूची एव समय सारिणी का डिस्प्ले
6	बुकिंग एवं पूछताछ काउन्टर
7	परिवाद / सुझाव पेटिका
8	शौचालय / मूत्रालय (पुरूष / महिला)
9	जलपानगृह

श्रेणी–स श्रेणी–द में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता

10	बोर्डिंग प्लेटफार्म
11	स्टाल
12	पी0सी0ओ0
13	यात्री शेड
14	मिनी ट्यूबवेल एवं मोल्डेड टैंक
15	आइडिल पार्किंग

श्रेणी–ब श्रेणी–स में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता

16 उद्घोषणा यंत्र
17 वाटर कूलर
18 इन–आउट इनक्वायरी
19 जनरेटर
20 प्रशासनिक कार्यालय
21 ड्राइवर कन्डक्टर रेस्ट रूम
22 प्राइवेट कार, स्कूटर रिक्शा पार्किंग

श्रेणी–अ श्रेणी–ब में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता

23 टेलीविजन
24 वातानुकूलित जलपानगृह
25 वातानुकूलित वेटिंग हाल
26 डारमैट्री
27 कम्प्यूटराईज्ड बुकिंग / रिर्जवेशन
28 कम्प्यूटराईज्ड एराइवल–डिपार्चर डिस्प्ले
29 ट्यूबवेल एवं आर0सी0सी0 ओवर हैड टैंक

श्रेणी–सुपर अ श्रेणी–अ में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न सुविधाओं की उपलब्धता

30 क्लॉक रूम
31 टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेन्टर
32 वाशिंग मशीन
33 सिक्योरिटी गार्ड